

old o

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7]

नई दिल्ली, मार्च 12—मार्च 18, 2017, शनिवार/फाल्गुन 21—फाल्गुन 27, 1938

No. 7]

NEW DELHI, MARCH 12-MARCH 18, 2017, SATURDAY/PHALGUNA 21-PHALGUNA 27, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.नि.आ. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय, वर्ग-3 तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अननुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1972 जहां तक उसका संबंध नक्शानवीश श्रेणी-3 के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में नक्शानवीश के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नक्शानवीश, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नक्शानवीश	04*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25,500- 81,100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	आवश्यकः (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) या समतुल्य। (ख) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य से नक्शानवीशी में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या डिप्लोमा (जिसके अंतर्गत छः माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी है।) वांछनीयः ऑटोमेटिड कम्प्यूटर एडिट डिजाइन (ऑटोकेड) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य और कम्प्यूटर तथा उसकी परिधियों का उपयोग करते हुए कलाओं के सर्जन का ज्ञान हो। टिप्पण 1:- अईताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम

		आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की	प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
		गई अंतिम तारीख	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी
		होगी। (न कि वह	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों
		अंतिम तारीख जो	के लिए जो लेखबद्ध किए जाए
		असम, मेघालय,	सक्षम प्राधिकारी के
		अरुणाचल प्रदेश,	विवेकानुसार अनुसूचित
		मिजोरम, मणिपुर,	जातियों और अनुसूचित
		नागालैंड, त्रिपुरा,	जनजातियों के अभ्यर्थियों की
		सिक्किम, जम्मू-	दशा में तब शिथिल की जा
	7	कश्मीर राज्य के	
		लद्दाख खंड,	सकती हैं जब चयन के किसी
		हिमाचल प्रदेश के	प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की
		लाहोल और स्पीति	यह राय है कि उनके लिए
		जिले तथा चम्बा-	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
		जिले के पांगी	लिए अपेक्षित अनुभव रखने
		उपखंड, अंदमान	वाले उन समुदायों के
		और निकोबार द्वीप	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
		या लक्षद्वीप के	उपलब्ध होने की सम्भावना
		अभ्यर्थियों के लिए	नहीं है।
		विहित की गई है।)	
		1416(141 112 61)	
		टिप्पण 2 :रोजगार	
		कार्यालय के	
		माध्यम से आने	
		वाले अभ्यर्थियों	
		की दशा में आयु	
		सीमा अवधारित	
		करने के लिए	
		निर्णायक तारीख	
		वह अंतिम तारीख	
		होगी जिस तक	
and the second second		रोजगार कार्यालय	
		से नाम भेजने के	
		लिए कहा गया है।	
		, , ,	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	1	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	40		जाएगा।
	(12)		(13)
समूह होंगे:	ह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :-	जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1.	कमान अधिकारी वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन खण्ड (आयुध्यादि), खमरिया	-अध्यक्ष	
2.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-1 वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	-सदस्य	
3.	वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के किसी भी क्षेत्र के स्थापन से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2	-सदस्य	

[फा. सं. 2545/भर्ती नियम(समूह 'ख' और 'ग' नक्शानवीश)/डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी-(हाल)] इंद्रजीत सेठी. अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 28th February, 2017

- S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation Class III Technical, Scientific and other Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as it relates to the post of Draughtsman Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draughtsman in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Draughtsman, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and the level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other related matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation/relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Eex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draughtsman	04*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essentials: (a) Matriculation (10 th class pass) or equivalent from a recognized Board or University. (b) Certificate course or Diploma in Draughtsmanship of a duration of not less than two years (including six months practical training) from a recognised Industrial Training Institute or equivalent. Desirable: Certificate course in Automated Computer Aided Design (AUTOCAD) or equivalent and having knowledge of creating drawings using computer and its peripherals. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the	Not applicable

Competent Authority for reasons	
to be recorded in writing, in the	
case of candidates belonging to	
Scheduled Castes or Scheduled	
Tribes, if at any stage of selection,	
the Competent Authority is of the	
opinion that sufficient number of	
candidates from these	
Communities possessing the	
requisite experience are not likely	
to be available to fill up the	
vacancies required for them.	

Period of probation, if any	recruitment or by promotion or by	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	
(9)	(10)	(11)	
Two years	By direct recruitment	Not applicable.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria — Chairman	
(2) Senior Scientific Officer Grade-I from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member	
(3) Senior Scientific Officer Grade-II from any field establishment of Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member	

[F. No. 2545/RRs (Gp 'B' & 'C' Draughtsman)/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.नि.आ. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्रमशः (i) सेना समूह 'ख' (ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव) भर्ती नियम, 2006 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के पदों से है, और (ii) रक्षा मंत्रालय सेना (आशुलिपिक श्रेणी-I) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 को जहाँ उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी- I के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सेना की निम्नतर विरंचनाओं में ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आशुलिपिक कॉडर (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2017 है ;
 - (ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।